भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4630

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डाक्टरों की भर्ती

†4630. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापकों और रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए कोई संवर्ग समीक्षा अथवा प्रोत्साहन योजनाएं प्रस्तावित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में रिक्तियों की स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोल्हापुर में संकाय-भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**	**भरे हुए पद**		**रिक्त पद**
			नियमित	**संविदा आधार पर**	
1.	प्रोफेसर	24	17	02	05
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	47	33	04	10
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	70	35	26	09
4.	रेजिडेंट डॉक्टर (एसआर)	97	64	00	33
5.	रेजिडेंट डॉक्टर (जेआर I, II, III)	232	220	00	12
कुल		470	369	32	69

राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोल्हापुर में संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों के स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के विवरण से पता चलता है कि 85% से अधिक पद भरे हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2025 में, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा राज्य भर में शिक्षण संकाय की भर्ती के लिए 1,286 शिक्षण पदों के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। इनमें से, 158 पदों के लिए सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एमपीएससी में प्रक्रियाधीन है।

शिक्षण संसाधनों को बढ़ाने के लिए दिनांक 13.03.2026 के सरकारी संकल्प के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 12.04.2022 के संकल्प के अनुसार, संकाय सदस्यों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करना शामिल है, जिसके तहत नैदानिक विषयों में संकाय सदस्यों को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि और सुपर-स्पेशियलिटी विषयों में पांच अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी।

*****